UPSH040245102025

न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय कोर्ट संख्या–17, शाहजहॉपुर।

पीठासीन अधिकारी–मनीष कुमार सिंह उ0प्र0 न्यायिक सेवा–यू0पी0–2432

राज्य

बनाम

परसराम पुत्र लुकई जाटव, निवासी ग्राम प्रसादपुर, थाना सेहरामऊ उत्तरी, जिला शाहजहॉपुर।

वाद सं0–25335/2025

अपराध सं0–98/96

धारा–379, 411 भा0दं0सं0

थाना सेहरामऊ उत्तरी, जिला शाहजहॉपुर।

निर्णय

अपराध सं0–98/96, धारा–379, 411 भा0दं0सं0, थाना सेहरामऊ उत्तरी, जिला शाहजहॉपुर के मामले में अभियुक्तगण गिरिजाशंकर एवं परसराम के विरुद्ध पुलिस द्वारा आरोप–पत्र प्रेषित किया गया है। प्रस्तुत मामले में अभियुक्त गिरिजाशंकर के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किया गया है। शेष अभियुक्त परसराम द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया कि उपरोक्त पत्रावली सन् 1996 से विचाराधीन है। वह गरीब मजदूर व्यक्ति है। वह अपने परिवार का अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। प्रार्थी अपना मुकदमा आगे नही चलाना चाहता है। प्रार्थी कम से कम अर्थदण्ड एवं जेल में बितायी गयी अवधि पर केस निस्तारित किये जाने की याचना की गयी। अतः अभियुक्त जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

आदेश

अ0सं0–98/96, धारा–379, 411 भा0दं0सं0, थाना सेहरामऊ उत्तरी, जिला शाहजहॉपुर के मामले में अभियुक्त परसराम को दोषसिद्ध किया जाता है।

दण्ड के बिन्दु पर सुनवाई हेतु पत्रावली पेश हुई।

दिनांक–21–08–2025

(मनीष कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
द्वितीय, कोर्ट संख्या–17,
शाहजहॉपुर।
आई0डी0 नं0–यू0पी0–2432

लंचबाद

1. पत्रावली लंचोपरान्त पेश हुयी। सिद्धदोष अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को दण्ड के बिन्दु पर सुना।

2. सिद्धदोष अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि वह गरीब व मजदूरी पेशा व्यक्ति है। उसका मुकदमा अत्यन्त प्राचीन है। वह अपने परिवार का अकेला कमाने वाला व्यक्ति है। वह लगातार न्यायालय उपस्थित आ रहा है। अतः जुर्म इकबाल के आधार पर मुकदमा निस्तारित किये जाने की याचना की गयी।

3. विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी द्वारा अभियुक्त द्वारा चोरी किया गया तथा चोरी का सामान अभियुक्त के कब्जे से बरामद किया गया है। अतः अभियुक्त को दण्डित किये जाने की याचना की गयी।

4. पत्रावली के परिशीलन से दर्शित है कि दोषसिद्ध परसराम के पूर्ववर्ती दोषसिद्धि का कोई साक्ष्य अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नही किया गया है। अभियुक्त पर पंखा चोरी करने तथा चोरी किया गया पंखा बरामद होने का आरोप है। प्रस्तुत प्रकरण वर्ष 1996 से लम्बित है, जो कि अत्यन्त ही प्राचीन है। त्वरित विचारण अभियुक्त का मौलिक अधिकार है। **माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पुलिस आयुक्त दिल्ली बनाम रजिस्ट्रार दिल्ली उच्च न्यायालय (ए0आई0आर0 1997 एस0सी0 95)** में यह अभिनिर्धारित किया कि मामलो का उचित एवं त्वरित विचारण न्याय प्रशासन की एक अहम आवश्यकता है।'' अभियुक्त द्वारा स्वेच्छया से जुर्म स्वीकार किया गया है। उपरोक्त मामले में अभियुक्त परसराम लगभग 20 दिन जेल में रहा है। अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त परसराम को प्रस्तुत प्रकरण में भा0दं0सं0 की धारा–379, 411 भा0दं0सं0 के अन्तर्गत निम्नांकित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगाः–

आदेश

5. अभियुक्त परसराम को वाद संख्या–25335/2025, मु0अ0सं0–98/96, धारा–379, 411 भा0दं0सं0, थाना सेहरामऊ उत्तरी, जिला शाहजहॉपुर के अपराध में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त परसराम को धारा–379, 411 भा0दं0सं0 में मु0–3000/–रूपये अर्थदण्ड एवं जेल में बितायी गयी अवधि से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अभियुक्त एक दिन का अतिरिक्त कारावास का दण्ड भुगतेगा।

दिनांक–21–08–2025

(मनीष कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
द्वितीय, कोर्ट संख्या–17, शाहजहॉपुर।
आई0डी0 नं0 यू0पी0–2432

आज यह निर्णय एवं आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया ।

दिनांक–21–08–2025

(मनीष कुमार सिंह)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
द्वितीय, कोर्ट संख्या–17, शाहजहॉपुर।
आई0डी0 नं0 यू0पी0–2432